इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. एफ-14-5-2011-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विषय में पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उसके कालम (3) में विनिर्दिष्ट संनिर्माण कार्य की लागत के संबंध में उपकर निर्धारण के लिए, कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उनकी अधिकारिता के भीतर निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (ज) के अनुसार कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अनुसूची के कालम (6) में यथा विनिर्दिष्ट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कालम (2) में विनिर्दिष्ट कर निर्धारण अधिकारी के लिए अपीली प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	उपकर निर्धारण अधिकारी	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य की लागत	अधिकारिता	अपीलीय प्राधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	समस्त श्रम अधिकारी	रु. 10 करोड़ तक	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	सहायक श्रम आयुक्त.	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.
2	समस्त सहायक, श्रम आयुक्त.	रु. 50 करोड़ तक अपने मुख्यालय की अधिकारिता के जिले में एवं रु. 10 करोड़ से अधिक किन्तु 50 करोड़ से अनधिक अपनी संभागीय अधिकारिता में.	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	उप श्रम आयुक्त	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	समस्त उप श्रम आयुक्त.	रु. 50 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 250 करोड़ से अनधिक.	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	अपर श्रम आयुक्त.	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.
4	अपर श्रम आयुक्त.	रु. 250 करोड़ से अधिक	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	श्रम आयुक्त	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.
5	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	रु. 10 करोड़ तक	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.
6	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	रु. 50 करोड़ तक	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	कलक्टर	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.
7	समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिक/ नगर पंचायत (जो राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो).	रु. 10 करोड़ तक	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	अनुविभागीय अधिकारी.	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.
8	आयुक्त, नगरपालिक निगम द्वारा नामनिर्देशित समस्त उपायुक्त (जो राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो).	रु. 10 करोड़ तक	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	आयुक्त, नगर पालिक निगम.	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.
9	समस्त आयुक्त, नगरपालिक निगम.	रु. 50 करोड़ तक	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.	कलक्टर	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर.

टिप्पण.—(1) उपकर निर्धारण संबंधी प्रकरण तैयार कर समुचित विभागीय उपकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग के क्षेत्र अधिकारी (फील्ड आफीसर) का होगा, जहां कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य संचालित हो रहा है.

(2) उस दशा में, जहां कि, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व उपकर निर्धारण के लिए कार्यवाही पूर्व से ही प्रारंभ हो चुकी है, वहां उपकर निर्धारण की कार्यवाही उसी उपकर निर्धारण अधिकारी के द्वारा पूर्ण की जावेगी.

2. यह अधिसूचना ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F-14-5-2011-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of rule 2 of the Building and other Construction Workers Welfare Cess Rules, 1998 and in supersession of all the previous notifications issued in this regard, the State Government, hereby, appoints the officers specified in column (2) of the Schedule below, as the Assessing Officer for assessment of cess in relation to the cost of construction work as specified in column (3) thereof within their respective jurisdiction as specified in column (4) and appoints the officers specified in column (5) as the Appellate Officer as per clause (h) of rule 2 of the said rules for the Cess Assessing Officers specified in column (2) thereof within their respective jurisdiction as specified in column (6) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Cess Assessing Officer	Cost of Building and other construction work	Jurisdiction	Appellate Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	All Labour Officers	Upto Rs. 10 crores	within their respective jurisdiction.	Assistant Labour Commissioner.	within their respective jurisdiction.
2	All Assistant Labour Commissioners.	Upto Rs. 50 crores in the jurisdiction of headquarter district, and mor then Rs. 10 crores but not more than Rs. 50 crores in the divisional jurisdiction.	within their respective jurisdiction.	Deputy Labour Commissioner.	within their respective jurisdiction.
3	All Deputy Labour Commissioners.	More than Rs. 50 crores but not more than Rs. 250 crores.	within their respective jurisdiction.	Additional Labour Commissioner.	within their respective jurisdiction.
4	Additional Labour Commissioners.	More than Rs. 250 crores	within their respective jurisdiction.	Labour Commissioner.	within their respective jurisdiction.
5	All chief Executive Officers, Janpad Panchayat.	Upto Rs. 10 crores	within their respective jurisdiction.	Chief Executive Officers, Jila Panchayat.	within their respective jurisdiction.
6	All Chief Executive Officers, Jila Panchayat.	Upto Rs. 50 Crores	within their respective jurisdiction.	Collector	within their respective jurisdiction.
7	All Chief Municipal Officers/Chief Executive Officers, Nagar Palika/Nagar Panchyats (who are not below the rank of Class-II Gazetted Officer of the State).	Upto Rs. 10 crores	within their respective jurisdiction.	Sub-Divisional Officer.	within their respective jurisdiction.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	All Deputy Commissioners nominated by the Commissioner, Municipal Corporation (who are not below the rank of Class-II Gazetted Officer of the State).	Upto Rs. 10 crores	within their respective jurisdiction.	Commissioners, Municipal Corporation.	within their respective jurisdiction.
9	All Commissioners, Municipal Corporation.	Upto Rs. 50 Crores	within their respective jurisdiction.	Collector	within their respective jurisdiction.

Note.— (1) It shall be responsibility of the field officer of the concerned department where the building and other construction work is being carried out, to prepare and submit the case for assessment of cess before the appropriate departmental Cess Assessing Officer.

(2) In case, where the proceedings for assessment have already begin before the publication of this notification, the assessment of cess shall be completed by the same Cess Assessment Officer.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.